प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001
Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

30 अप्रैल 2024

बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन – मार्च 2024

मार्च 2024[1] महीने के लिए 41 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्र-वार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत होता है, विवरण I और II में दिए गए हैं।

वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) आधार पर देखें तो, खाद्येतर बैंक ऋण[2] में मार्च 2024[3] में 16.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एक वर्ष पहले यह 15.4 प्रतिशत थी।

बैंक ऋण[3] के क्षेत्र-वार अभिनियोजन की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

- कृषि और संबद्ध कार्यकलापों हेतु प्रदत्त ऋण में मार्च 2024 में 20.1 प्रतिशत (व-द-व) पर मजबूत वृद्धि दर्ज की गई (एक वर्ष पहले 15.4 प्रतिशत)।
- उद्योग क्षेत्र को प्रदत्त ऋण में मार्च 2024 में 8.5 प्रतिशत (व-द-व) की वृद्धि हुई, जबकि मार्च 2023 में यह 5.6 प्रतिशत थी। प्रमुख उद्योगों में, 'रसायन और रासायनिक उत्पाद', 'खाद्य प्रसंस्करण' और 'इन्फ्रास्ट्रक्चर' की ऋण वृद्धि (व-द-व) में मार्च 2024 में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में तेजी आई, जबकि 'मूल धातु और धातु उत्पाद' की ऋण वृद्धि धीमी हुई।
- सेवा क्षेत्र को प्रदत्त ऋण में वृद्धि मार्च 2024 में बढ़कर 20.2 प्रतिशत (व-द-व) हो गई (एक वर्ष पहले 19.6 प्रतिशत), जो 'परिवहन ऑपरेटरों' और 'वाणिज्यिक स्थावर संपदा' हेतु प्रदत्त ऋण में उच्च वृद्धि की वजह से थी। हालांकि, 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)' और 'व्यापार' की ऋण वृद्धि मार्च 2023 की तुलना में मार्च 2024 में धीमी हुई।
- वैयक्तिक ऋणों की वृद्धि मार्च 2024 में घटकर 17.7 प्रतिशत (व-द-व) हो गई (एक वर्ष पहले 21.0 प्रतिशत), जो वाहन ऋण और अन्य वैयक्तिक ऋणों में धीमी वृद्धि की वजह से थी।

अजीत प्रसाद
उप महाप्रबंधक (संचार)

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/219

[1] आंकड़े माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं।
[2] खाद्येतर ऋण के आंकड़े माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार हेतु धारा-42 विवरणी पर आधारित हैं, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) शामिल हैं।
[3] किसी बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय के प्रभाव को छोड़कर।